(नियम 26)

2019/00233

अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम,जयपुर।

धर्मपाल बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ

किस्म मुकदमाः—अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम नम्बर 32/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.12.19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित उन्होने कथन किया है कि गत खसरा नम्बर 514 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा जिसका अपीलान्ट धर्मपाल काबिज रिकार्ड खातेदार काश्तकार है एवं गत खसरा नम्बर 514 के नये खसरा नम्बर 851, 852 तथा हाल खसरा नम्बर 884 आंशिक रूप से बना है एवं खसरा नम्बर 884 में अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि 0.06 हैक्टयर शामिल की गई है। उन्होने आगे कथन किया है कि भूमि वादग्रस्त के सम्बन्ध में तहसीलदार के समक्ष अपीलार्थी के विरूद्ध धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही संक्षिप्त की गई जिसमें तहसीलदार सूरजगढ ने आदेश दिनांक 21.07.2019 द्वारा भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप की गई है तथा इतना सब कुछ होते हुए भी उन्ही तहसीलदार सूरजगढ ने 4 माह बाद विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 884 में रास्ता खोले जाने के आदेश पारित कर दिये है, जो निरस्तनीय है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि वादगस्त भूमि गैर मुमकिन रास्ते के रूप में काम नही आ रही है एवं अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि से बिलकुल सटवा है एवं भूमि वादग्रस्त पर अपीलार्थीगण की सरसो, गेहूँ की फसल खड़ी हुई है लेकिन तहसीलदार सूरजगढ ने अपीलान्ट को बिना सुने एवं बिना नोटिस दिये तथा सुनवाई का कतई अवसर दिये बिना ही नादिरशाही तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2019 को निरस्त फरमाया जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर हाता है कि अधीनरस्थ तहसीलदार सूरजगढ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2019 पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2019 को विधि सम्मत नही ठहराया जा सकता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **धर्मपाल बनाम राजस्थान सरकार** **320/19**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांक 2754–2761 दिनांक 26.11.2019 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार सूरजगढ जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। (के0सी0वर्मा) संभागीय आयुक्त, जयपुर।	

2019/00233

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर जिला जयपुर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 320 /2019

(1) धर्मपाल पुत्र लादुराम
(2) संजय पुत्र धर्मपाल
(3) विजेन्द्र पुत्र धर्मपाल

जाति जाट निवासीगण काकोडा जिला झुंझुनूं (राज0)

---अपीलान्ट.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सूरजगढ (झुंझुनूं)

--- रेस्पाडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय आदेश तहसीलदार, सूरजगढ दिनाक 26-11-19.

श्रीमानजी,

अपील निम्न कारणों पर प्रस्तुत है:--

(1) यहकि आदेश सुयोग्य तहसीलदार, सूरजगढ दिनांक 26.11.19 पूर्णतया विधि विधान पत्रावली तथा तथ्यों के विपरीत है एवं निरस्तनीय है।

..2.

7/56
4.12.19
संभागीय आयुक्त जयपुर